

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** (State/~~Union territory~~) from **066-Alwar Urban** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that **SHRI SANJAY SHARMA**, (Name) **201, RAGHU MARG, ALWAR (RAJ.)** (Address) sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - ALWAR

Date - 11/12/2018

Signature ...11.12.18
Returning Officer.

(सुरेन्द्र प्रसाद)
रिटर्निंग ऑफिसर
बिधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अलवर शहर (066)
(एन सी ई ओ एन अलवर (मु०))

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा
066-अलवर शहर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट
उपबंधों के अनुसरण, मैं, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री संजय शर्मा, 201, रघु मार्ग, अलवर (राज.)

(जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये) उपयुक्त निर्वाचन,
क्षेत्र से उस एदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान - अलवर

दिनांक - 11.12.2018

(सुरेन्द्र प्रसाद)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अलवर शहर (066)

(ए० सी० ई० एम० अलवर (मु०))